



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3568]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940

No. 3568]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4715(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 सितंबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. टी-11020/50/1999-नाको(पीएंडसी)]

आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (16 of 2017), the Central Government hereby appoints the 10th day of September, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. T-11020/50/1999-NACO (P&C)]

ALOK SAXENA, Jt. Secy.